

कार्यालय: उ०प्र०, लोक सेवा आयोग  
संख्या: 1251/12/ई-4/2018-2019  
प्रयागराज: दिनांक 20 मई, 2020

### विज्ञापित

आयोग के विज्ञापन संख्या-ए-4/ई-1/2017 द्वारा विज्ञापित समीक्षा अधिकारी/सहायक समीक्षा अधिकारी आदि (सामान्य/विशेष/बैकलाग चयन) परीक्षा-2017 का अंतिम चयन परिणाम घोषित किया जा चुका है। उक्त औपबन्धिक रूप से घोषित अंतिम चयन परिणाम में सफल अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र एवं शैक्षिक अभिलेखों का सत्यापन (मूल शैक्षिक प्रमाण पत्रों से) कराये जाने हेतु निम्नवत् कार्यक्रम निर्धारित किया गया है—

### सत्यापन-कार्यक्रम

क्र०स०	पद का नाम	अनुक्रमांक- .....से .....तक	तिथि एवं समय
1	समीक्षा अधिकारी (लोक सेवा आयोग)	समस्त चयनित कुल- 14 अभ्यर्थी	दिनांक 27.05.2020 (समय: :10.00 से 12.00 बजे मध्याह्न)
2	सहा० समीक्षा अधिकारी (लेखा) (लोक सेवा आयोग)	समस्त चयनित कुल- 05 अभ्यर्थी	दिनांक: 27.05.2020 (समय: :12.00 से 01.00 बजे मध्याह्न)
3	सहा० समीक्षा अधिकारी (लोक सेवा आयोग)	अनु०-015099 से 108807 तक कुल- 10 अभ्यर्थी	दिनांक: 27.05.2020 3.00 से 04.00 बजे अपरान्ह
		अनु०-121356 से 244243 तक कुल- 10 अभ्यर्थी	दिनांक: 27.05.2020 4.00 से 5.00 बजे अपरान्ह
		अनु०-246757 से 303994 तक कुल- 10 अभ्यर्थी	दिनांक: 28.05.2020 10.00 से 11.00 बजे पूर्वाह्न
		अनु०-323203 से 442302 तक कुल- 10 अभ्यर्थी	दिनांक: 28.05.2020 11.00 से 12.00 बजे मध्याह्न
		अनु०-448486 से 518716 तक कुल-09 अभ्यर्थी	दिनांक: 28.05.2020 12.00 से 01.00 बजे अपरान्ह
4	समीक्षा अधिकारी (राजस्व परिषद)	अनु०-112592 से 486487 तक कुल- 07 अभ्यर्थी	दिनांक: 28.05.2020 3.00 से 04.00 बजे अपरान्ह
5	सहा० समीक्षा अधिकारी (राजस्व परिषद)	अनु०-080865 से 527772 तक कुल- 06 अभ्यर्थी	दिनांक: 28.05.2020 4.00 से 05.00 बजे अपरान्ह

नोट- यदि कोई अभ्यर्थी अपरिहार्य परिस्थितियों में उक्त तिथियों में उपस्थित नहीं होता है तो उसका अभ्यर्थन निरस्त नहीं किया जायेगा एवं उसे अभिलेख सत्यापन का अन्य अवसर प्रदान किया जायेगा।

2- उपरोक्त कार्यक्रमानुसार उपरिथत होने वाले अभ्यर्थियों को निम्न बातों का ध्यान रखना आवश्यक होगा:-

(क) अभ्यर्थीगण निर्धारित तिथि एवं समय पर मास्क पहनकर ही आयोग में उपस्थित हो एवं अपने साथ वांछित मूल एवं छाया प्रति अभिलेखों के अतिरिक्त कोई भी सामान यथा बैग, ब्रीफकेस इत्यादि न लायें।

(ख) अभ्यर्थियों से शासन द्वारा लॉकडाउन अवधि में बनाये गये सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना अपेक्षित है, तथा उनको आपस में मिलना-जुलना एवं नजदीक नहीं बैठना है।

(ग) आयोग के गेट नं०-2 पर पहुँचने पर अभ्यर्थियों को हैण्डवास एवं सेनेटाइजर उपलब्ध कराया जायेगा। हैण्डवास एवं सेनेटाइजर का उपयोग करने एवं थर्मल स्कैनिंग कराने के उपरान्त ही आयोग परिसर में प्रवेश करेंगे।

(घ) जिन अभ्यर्थियों को बुखार, खोंसी, जुकाम या अन्य कोई बीमारी है, वे अभ्यर्थी सत्यापन हेतु न आयें। उन्हें सत्यापन हेतु अतिरिक्त अवसर प्रदान किया जायेगा।

3- अभ्यर्थीगण आयोग की वेबसाइट <http://uppsc.up.nic.in> के "Home Page" पर "Candidate Segment" में " Selected candidates download filled forms of SAMIKSHA ADHIKARI/SAHAYAK SAMIKSHA ADHIKARI ETC (GENERAL/SPECIAL RECTT.) (MAINS) EXAMINATION-2017" पर Click करके अपना रजिस्ट्रेशन नम्बर एवं अन्य वांछित सूचनाएं Submit करके पूर्व में भरे गये आनलाइन फार्म सेट (आवेदन-पत्र, प्रमाणी करण प्रपत्र, देशना प्रपत्र, अंक तालिका विवरण) को

मुद्रित करके उसके साथ समस्त शैक्षिक अभिलेखों/प्रमाण-पत्रों की स्वप्रमाणित प्रतियों का दो सेट तैयार कर उस फार्म सेट के प्रत्येक पृष्ठ पर निर्धारित स्थान पर हस्ताक्षर कर एवं राजपत्रित अधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित फोटो की दो प्रति तथा दो आवक सादी फोटो अर्थात् कुल 04 फोटो सहित नियत तिथि एवं समय पर ही उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज के गेट नं0-2 पर स्थित गेस्ट हाउस में पहुँचना सुनिश्चित करें। सत्यापन के समय शैक्षिक अर्हताओं से सम्बन्धित समस्त अंकतालिकाओं (प्रत्येक वर्ष की)/उपाधि, डिप्लोमा एवं अन्य प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियां भी अपने साथ अवश्य लायें। उक्त के अतिरिक्त अभ्यर्थियों को सत्यापन के समय निम्नलिखित मूल प्रमाण-पत्र भी प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा-

(क) उ0प्र0 की महिला अभ्यर्थी को पिता पक्ष से सक्षम अधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण-पत्र।

(ख) उ0प्र0 के आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को दावे के समर्थन में (वेबसाइट पर उपलब्ध) निर्धारित नवीनतम प्रारूप पर जारी किया गया प्रमाण-पत्र तथा उक्त से साथ सामान्य निवास प्रमाण पत्र भी लायें।

(ग) केन्द्र अथवा राज्य सरकार में कार्यरत अभ्यर्थी को सेवायोजन द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र।

विशेष:- (1) वांछित मूल प्रमाण-पत्रों के अभाव में अभ्यर्थियों का सत्यापन किया जाना सम्भव नहीं होगा तथा उनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।

(2) अभ्यर्थीगण उपरोक्त निर्धारित तिथि एवं समय पर ही शैक्षिक अभिलेख सत्यापन हेतु उपस्थित हों।

(3) उ0प्र0 सचिवालय में चयनित अभ्यर्थियों के अभिलेखों के सत्यापन हेतु सूचना अलग विज्ञापित के माध्यम से दी जायेगी।

(अरविंद कुमार मिश्र )  
परीक्षा नियंत्रक।